(i) Bachelor's degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute;

(ii) Two years professional experience in Library under the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertaking or recognized University or recognised research or institutions.

Note 1: Departmental Library and Information Assistant in level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400) with five years regular service in the grade and having the educational qualifications and experiences prescribed for considering appointment on deputation basis is considered alongwith outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion.

Note 2: The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation (including short-term contract), in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A- 12018/4/2023-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2024

सा.का.नि. 149.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि मंत्रालय, केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान ,कोच्ची ,मल्टी टास्किंग स्टाफ (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग के अधीन केन्द्रीय मत्स्य नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची में बहुकार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मत्स्य नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बहुकार्य कर्मचारीवृंद, भर्ती नियम 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी पत्नी से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. वृव्यात्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
बहुकार्य कर्मचारीवृंद।	37* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1	लागू नहीं होता।	आयु 18 और 25 वर्ष के बीच | **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड,	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण। वांछनीयः निम्नलिखित पदों के लिए सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव: i. माली का एक पदः माली के रूप में एक वर्ष का अनुभव ii. चौकीदार के आठ पदः चौकीदार या सुरक्षा सेवक के रूप में एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।

					लद्दाख, जम्मू और कश्मीर , अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)		

परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की प्रकृति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, यो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(9)	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण –**प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगीः- (क) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के आधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं। **टिप्पणः** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्रदान करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. निदेशक, केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान - अध्यक्ष, 2. प्रधान अनुदेशक, नौ इंजीनियरी, केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य, 3. यांत्रिक नौ इंजीनियर, केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य 4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, – सदस्य।	लागू नहीं होता।।

[फा. सं. 3-40/2021-प्रशा.V]

कृष्ण पाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

New Delhi, the 4th October, 2024

G.S.R. 149.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Ministry of Agriculture , the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Multi Tasking Staff (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2011**,** except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Kochi under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Multi Tasking Staff, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix .-**The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit ,qualifications, etc.-**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living ;or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

ANNEXURE-I

Name of post.	No. of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation if any.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Multi tasking staff.	**37*** **(2024)** *Subject to variation	General Central Service Group-C	level-1	Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. **Note:-** The crucial date of determining the	Matriculation or equivalent. pass from a recognised	Not applicable.	Two years.

	dependant on workload.	Non-Gazetted Non-Ministerial			age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pr., Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Spiti and Lahaul District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladhak, Jammu and Kashmir,Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Board. ***Desirable:** One year experience in the relevant field for the following posts: (i) One post of Gardener: One year experience as Gardener. (ii) Eight posts of Watchman: One year experience as Watchman or security service.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion committee exists what is the composition.**	**Circumstances in which Staff Selection Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of on year more may be filled on deputation basis from officers of Central Government . (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department ; and Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column	Not applicable.	Group C Departmental promotion Committee consisting of : 1.Director, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training: Chairman 2. Chief Instructor (Marine Engineering), Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training : Member 3. Mechanical Marine Engineer, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training: Member 4. Senior Administrative Officer: Member.	Not applicable.

(7). **Note:** The maximum age- limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.			

[F. No. 3-40/2021-Admn.V]

KRISHAN PAL, Under Secy.

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2024

सा.का.नि. 150.—सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा-3 द्वारा प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित 05 (पांच) अधिकारियों जो हल्दिया डॉक काम्प्लेक्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता केअधिकारी होने के नाते भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के रैंक के समकक्ष अधिकारी हैं, को उक्त अधिनियम के उद्देश्य हेतु संपदा अधिकारी नियुक्त करती है जो, सहायक तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्धारित परिसरों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा या उसके तहत संपदा अधिकारियों की प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करेंगे और सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे:-

तालिका

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं पद नाम	कार्यकाल	अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ
1.	श्री ए. के. रॉय, व. उपप्रबंधक, आईएंडसीएफ प्रभाग	अधिसूचना की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक वे सेवा में बने रहते हैं, जो भी पहले हो।	हल्दिया/ तामलुक उप-मंडल, जिला- पूर्व मिदनापुर, पश्चिम बंगाल तौजी संख्या 34 बी 2 में शामिल निम्नलिखित मौजा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत सभी भू-खंड और परिसर। (i) कुमारचक, दुर्गाचिक, खंजनचक, जादवचक, किस्मत धन्यघाटा, बार्ड धन्यघाटा (भाग-।), तेतुलवेरिया, देभोग, हातीवेरिया, रायरांचक, दक्षिण वैष्णवचक, किशोरपुर, अनारनगर,सदरामचकऔर (ii) गौरीचक, वृदाबनचक, उत्तरशिसुरामचक, बिजयरामचक, बारकुमारचक, नंदकिशोरचक, जगतचक, पतिखाली, मुरलीचक, चिरंजीवपुर, बार्धन्यघाटा (भाग-।।) शंभूरामचक, विरकटचक, भीमरचक, गिलाबेरे, श्यामरायचक, पूर्व राधाबल्लभचक, उतरभोलानाथचक, गदाधरचक, सीतारामचक, दक्षिण हुलपाड़ा, दंदुतरचक, प्रंकृष्णाचक, दक्षिण रामचक, गोकुल मिसिरिरचक, तारामोनिचक, संदियारचक, सौतनचक, रामरूद्रचक, चकतारायन, बिश्नाथदतेरचक,
2.	श्री सुब्रत दास, सहा. प्रबंधक, सामग्री प्रबंधन प्रभाग		
3.	शेख एम. रहमान, उप प्रबंधक, सामग्री प्रबंधन प्रभाग		
4.	श्री डी. प्रकाश, सहा. प्रबंधक, संयंत्र एवं उपकरण प्रभाग		
5.	श्री सूफी शाने खोदा हसन इमाम, उपप्रबंधक, संयंत्र एवं उपकरण प्रभाग		